

**विज्ञप्ति संख्या :- 03/2015**  
**कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज**  
**स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना**

1. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान, कला एवं भाषा शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में दिनांक 09.07.2015 तक स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन-पत्र निम्नांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 09.07.2015 के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता- कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज।  
(मध्य विद्यालय पुलिस लाईन परिसर)  
सहेबगंज झारखण्ड।

पिन कोड- 816109

2. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन-पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन-पत्र के साथ वांछित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के उपर में बड़े अक्षरों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान/कला/भाषा शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित करेंगे।

3. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् है:-

- भारत का नागरिक हो।
  - प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(ख)(ii) में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।
- (अ) स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा)

एवं

- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण ।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को नियमवली के नियम 4(ग) के अनुसार उपर्युक्त कंडिका 3(अ) में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जायेगी ।
  5. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के नियम 11 तथा अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 31.07.2014 के अनुसार निम्नवत् होंगी -
- (क) स्नातक स्तर पर विज्ञान/गणित विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) की अन्य अहर्ताओं को पूरा करते हैं, की नियुक्ति स्नातक प्रशिक्षित (विज्ञान) शिक्षक के पद पर की जायेगी ।
- (ख) स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) की अन्य अहर्ताओं को पूरा करते हैं, की नियुक्ति स्नातक प्रशिक्षित (कला) शिक्षक के पद पर की जायेगी ।
- (ग) स्नातक स्तर पर भाषा विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) की अन्य अहर्ताओं को पूरा करते हैं, की नियुक्ति स्नातक प्रशिक्षित (भाषा) शिक्षक के पद पर की जायेगी ।
- (घ) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनका भाषा-1 के रूप में उर्दू एवं अंग्रेजी रहा हो, की नियुक्ति उर्दू मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित (भाषा) शिक्षक के पद पर की जायेगी ।
6. आवेदक साहेबगंज जिला के लिए लागू जनजातीय भाषा (माल्टो, संथाली) क्षेत्रीय भाषा (अंगिका, खोरठा, बंगला) में से किसी एक जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो ।
  7. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2096, दिनांक 25.04.11 में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम उम्र सीमा निम्नांकित है :-

कोटि	अधिकतम उम्र	विकलांगों के लिए अधिकतम उम्र
अनारक्षित -	35 वर्ष	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	37 वर्ष	42 वर्ष
महिला - (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

8. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार इस बार की जा रही नियुक्ति में उक्त सभी कोटि के आवेदकों को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी।
9. पारा शिक्षक के मामले में सभी कोटि के अध्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष की है, परंतु मात्र इस बार की जा रही नियुक्ति में सभी कोटि के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष की होगी।
10. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020, दिनांक 09.04.10 या प्रभावी अद्यतन आदेश के अनुसार इस नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
11. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानानुसार इस नियुक्ति में झारखण्ड राज्य के निवासी महिलाओं को नियमानुसार क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए क्षेत्रिज रूप में आरक्षित पद के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पद अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए होगा और ऐसी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य अर्हताधारी महिलाओं से इन पदों को भरा जायेगा।
12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 7281, दिनांक 01.11.07 या प्रभावी अद्यतन आदेश द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में निःशक्त व्यक्तियों को क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
13. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के अनुसार खेलकूद कोटा से दो प्रतिशत पद भी क्षेत्रिज रूप से आरक्षित हैं। तदनुसार, इस नियुक्ति में संकल्प में अंकित प्रावधानान्तर्गत झारखण्ड राज्य के निवासी खेलकूद कोटे के योग्य आवेदकों को नियुक्ति हेतु इस कोटे से आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
14. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिह्नित् रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अर्हताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचांग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अर्हताधारी आवेदकों में से भरा जायेगा के अनुरूप रिक्ति का कोटिवार विवरण निम्नवत् है:-
- (क.) सीधी नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान) के रिक्त पदों का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद				गैर पारा शिक्षकों के लिए पद			
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षेत्रिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षेत्रिज आरक्षण		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक					
अनारक्षित	15	08	04	00	07	04	00		
अनुसूचित जाति	01	00	00	00	01	00	00		
अनुसूचित जनजाति	11	06	03	00	05	03	00		
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	01	00	00		
पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	01	00	00		
कुल-	29	14	07	00	15	07	00		
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षेत्रिज आरक्षण (3%)		दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00				दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			

(ख.) सीधी नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कला) के रिक्त पदों का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद				गैर पारा शिक्षकों के लिए पद			
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण			कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		
			महिला	योग्य खिलाड़ी	आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी	आवेदक
अनारक्षित	14	07	04	00	00	07	04	00	00
अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	01	00	00	00
अनुसूचित जनजाति	10	05	02	00	00	05	03	00	00
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	01	00	00	00
पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	01	00	00	00
कुल-	27	12	06	00	00	15	07	00	00
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज आरक्षण (3%)			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			

(ग.) (i) सीधी नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (भाषा) के रिक्त पदों का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद				गैर पारा शिक्षकों के लिए पद			
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण			कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		
			महिला	योग्य खिलाड़ी	आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी	आवेदक
अनारक्षित	25	13	07	00	00	12	06	00	00
अनुसूचित जाति	03	01	00	00	00	02	01	00	00
अनुसूचित जनजाति	19	10	05	00	00	09	05	00	00
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02	01	00	00	00	01	00	00	00
पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	01	00	00	00
कुल-	50	25	12	00	00	25	12	00	00
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज आरक्षण (3%)			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			

(ग.) (ii) सीधी नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (उर्दू) के रिक्त पदों का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद				मैर पारा शिक्षकों के लिए पद			
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण			
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		
अनारक्षित	02	01	00	00	01	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00	00	00
अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	01	00	00	00	00
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00	00	00
पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल-	03	01	00	00	02	00	00	00	00
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज आरक्षण (3%)			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			दृष्टि निःशक्तता-00 मूक बधिर निःशक्तता-00 चलन निःशक्तता, आदि-00			

15. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत् जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण सहित) का लाभ अनुमान्य होगा।
16. अहर्ताधारी आवेदकों में से उनके लिए चिह्नित रिक्तियों के विरुद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियमानुसार प्रथम मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें कोटिवार अधिकतम उतने ही आवेदकों का नाम शामिल होगा, जितनी रिक्ति उस कोटि विशेष के लिए है। प्रथम कौंउसिलिंग उपरांत आवश्यकतानुरूप द्वितीय अथवा तृतीय मेधा सूची भी बारी-बारी से तैयार की जा सकेगी एवं कौंउसिलिंग की जायेगी।
17. कौंउसिलिंग में सही पाये गये प्रमाण-पत्रों/अहर्ताधारी आवेदकों के आधार पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची के प्रकाशनोपरांत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।
18. किसी भी परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची पैनल का निर्माण नहीं किया जायेगा। अगर योगदान नहीं करने के फलस्वरूप कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे अगली कार्यसम्पादन में ही विधिवत् भरा जायेगा।
19. शिक्षकों की नियुक्ति मूल कोटि (basic grade) के वेतनमान रु. 9300- 34800, ग्रेड पे-4600 में होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जायेगी।
20. शिक्षक नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेबसाईट (website), [www.sahibganj.nic.in](http://www.sahibganj.nic.in) पर दी जायेंगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट पर दी जाने वाली सूचनाओं से अपने को भलीभांति अवगत रखें।
21. इच्छुक आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदन-पत्र में वांछित सभी सूचनाएँ सही-सही एवं साफ-साफ भरेंगे। आवेदन-पत्र में किसी प्रकार का काट-कूट या लिप्तलेखन नहीं रहना चाहिए। भविष्य में कोई भी सूचना/प्रमाण-पत्र गलत/असत्य/जाली पाये जाने पर अभ्यर्थित्व या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
22. इच्छुक आवेदकों के हित में उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि शीघ्रताशीघ्र अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/निर्बंधित डाक के माध्यम से भेजें। विलंब से/निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
साहेबगंज

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज

## आवेदन-पत्र का नमूना

## स्वहस्ताक्षरित फोटो

- |     |  |  |
|-----|--|--|
|     | आवेदित पद का नाम:-   |  |
| 2.  | आवेदक का नाम   | स्वहस्ताक्षरित<br>फोटो                   |
|     | (देवनागरी में):-   |  |
|     | (रोमन ब्लॉक लेटर में):-  |  |
| 3.  | पिता/पति का नाम  |  |
|     | (देवनागरी में):-   |  |
|     | (रोमन ब्लॉक लेटर में):-  |  |
| 4.  | लिंग (महिला/पुरुष) :-  |  |
| 5.  | अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिला, कोई एक की स्थिति में जो लागू हो उसका विवरण-  |  |
| 6.  | स्थायी पता :-  |  |
| 7.  | स्थायी पता के जिला एवं राज्य का नाम-   |  |
| 8.  | वर्तमान पता :-   |  |
| 9.  | जन्म तिथि :-   | दिनांक 01.08.2015 को आयु :- वर्ष/माह/दिन |
| 10. | कोटि (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग ) :-  |  |
|     | i. जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :-   |  |
|     | ii. आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :-  |  |
| 11. | विकलांग (हौं/नहीं) :-  |  |
|     | (क.) यदि हौं, तो दृष्टि/मूक बधिर/चलन, आदि निःशक्तता (जो आवेदक के मामले में लागू हो) का नाम -   |  |
|     | (ख.) संगत निःशक्तता का प्रतिशत -   |  |
|     | (ग.) निःशक्तता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले मेडिकल बोर्ड का विवरण अथवा चिकित्सा पदाधिकारी (यदि अनुबंध-1 में प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम हों) का नाम एवं पदनाम - |  |
| 12. | आधार संख्या :-   |  |
| 13. | पैन कार्ड संख्या :-  |  |
| 14. | फोन/मोबाइल संख्या :-   |  |
| 15. | ई-मेल :-   |  |
| 16. | शैक्षणिक/पश्चैक्षणिक योग्यता :-  |  |

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय /परिषद् का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक (अतिरिक्त विषय के अंक को छोड़कर, यदि कोई हो)	कॉलम 6 अनुसार प्राप्तांक का प्रतिशत	अंक पत्र संख्या/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
माध्यमिक							
+2/इन्टर							
स्नातक (प्रतिष्ठा एवं पास कोर्स के विषयों के प्राप्तांक एवं पूर्णांक जोड़कर अकित करें।)	भाग-1 भाग-2 भाग-3 योग						

स्नातकोत्तर						
शिक्षक प्रशिक्षण						
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा वर्ग 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा						

1. आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता/उत्तीर्णता का विवरण—
    - (क.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कोर्स का नाम –
    - (ख.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कोर्स की अवधि –
    - (ग.) प्रशिक्षण मोड (नियमित/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा) –
    - (घ.) सत्रा—
    - (ङ.) प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि—
    - (च.) प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय का नाम एवं पता –
    - (छ.) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय एवं उसके संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सत्रा के छव्ज द्वारा मान्यता का विवरण (आवेदक के पास मान्यता पत्रा उपलब्ध रहने की स्थिति में उसकी प्रति संलग्न करेंगे)
  2. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा—प में ली गई क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा का नाम:—
  3. अहर्तार्धारी योग्य खिलाड़ी आवेदक (हॉ/नहीं) :—
    - (क.) यदि हॉ, तो खेल एवं उपलब्धि स्तर (जो आवेदक के मामले में लागू हो) का स्पष्ट विवरण –
      - (i) –
      - (ii) –
      - (iii) –
      - (iv) –
    - (ख.) उपलब्धि प्रमाण—पत्रा निर्गत करने वाले स्तर/संस्थान का विवरण तथा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –
  4. यदि पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हो तो :—
    - i. विद्यालय का नाम एवं पता जहां कार्यरत हो :—
    - ii. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन की तिथि :—
    - iii. विद्यालय में कार्य प्रारंभ करने की तिथि:—
- नोट :- आवेदन पत्रा के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/कागजातों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है:—
- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण—पत्रा, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
  - (ii) शैक्षणिक योग्यता (यथा—मैट्रिक, इण्टर .2द्व, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा) का प्रमाण—पत्रा/अंक—पत्र।
  - (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशैक्षणिक योग्यता (यथा—द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण/पिक्चा शास्त्रा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)/ चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रा में स्नातक (बी.एल.एड.)/ शिक्षा शास्त्रा/चार वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड./एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) का प्रमाण—पत्रा/अंक—पत्र।
  - (iv) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण—पत्रा/अंक—पत्र।

- (v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ।
- (vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रदत् आवासीय प्रमाण-पत्र ।
- (vii) विकलांग कोटि में नियुक्ति का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुबंध-1 में निर्गत/प्रदत् विकलांगता प्रमाण-पत्र ।
- (viii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के प्रावधानानुरूप सक्षम स्तर/प्राधिकार द्वारा निर्गत योग्य खिलाड़ी का प्रमाण-पत्र ।
- (ix) अहताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत लीगल सेपरेशन/डायवोर्स (legal seperation/divorce) का प्रमाण-पत्र एवं विधवा महिला की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण-पत्र एवं पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ।
- (x) पारा शिक्षक के मामले में उनका चयन/नियुक्ति पत्र तथा संलग्न प्रपत्र में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रदत् प्रमाण-पत्र ।
- (xi) दो अद्यतन पासपोर्ट साईज कलर फोटो ।

तिथि :- .....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :- .....